उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-14/20-21

प्रभाष कुमार मंडल

बनाम्

रैयान मौजा भलपहाड़ी

—: आदेश :—

दिनांक	
03/11/	अपीलकर्त्ता प्रभाष कुमार मंडल पे0 स्व0 आनंदी प्रसाद मंडल सा0—सरौनी, थाना—गोड्डा(मु0), जिला—गोड्डा ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0 46/07—08 आदेश दिनांक 27.09.2019 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0—46/07—08 आदेश दिनांक 27.09.2019 के द्वारा कनकलाल साह को मौजा भलपहाड़ी नं0 542 का प्रधान नियुक्त किया है। अपीलकर्त्ता का आवेदन है कि मौजा भलपहाड़ी के गत प्रधान की मृत्यु दिनांक 18.06.2007 को हो गयी। उसके वाद उसके नाती अपीलकर्त्ता ने मौजा के रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत्त आवेदन दिया। अपीलकर्त्ता के आवेदन पर अंचल अधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 को धारा 6 के तहत्त अपीलकर्त्ता को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया और अंचल अधिकारी, गोड्डा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अपीलकर्त्ता को मौजा भलपहाड़ी का प्रधान नियुक्त किया गया। उक्त नियुक्ति के विरूद्ध कनकलाल साह के द्वारा विद्वान उपायुक्त गोड्डा के न्यायालय में अपील आर0एम0ए0 नं0 3/08—09 दायर किया है। विद्वान उपायुक्त, गोड्डा ने आदेश दिनांक 11.07.2019 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के दिनांक 04.02.2008 के आदेश को निरस्त किया एवं नये सिरे से मौजा में प्रधान नियुक्त करने के लिए अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा को वापस भेजा गया। विद्वान उपायुक्त, गोड्डा के आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता के द्वारा माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0 75/2019—20 दायर किया है। इसी बीच विद्वान उपायुक्त, गोड्डा के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने रैयतों के राय के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत्त कनकलाल साह को मौजा भलपहाड़ी का प्रधान नियुक्त किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का दिनांक 27.09.2019 का पारित आदेश नियम संगत नहीं होने के कारण

प्रविष्टि बिन्दु पर अपील आवेदन अंगीकार करने योग्य है। उन्होंने प्रविष्टि बिन्दु पर अपील वाद को अंगीकार करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में सहायक सरकारी वकील का मंतव्य प्राप्त है। सहायक सरकारी वकील का मंतव्य है कि निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 04.02.2008 को पूर्व में ही आर0एम0ए0 नं0 3/08–09 के आदेश दिनांक 11.07.2019 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है एवं प्रश्नगत मौजा में प्रधान की नियुक्ति के लिए नये सिरे से कार्यवाही करने का निदेश दिया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता ने माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में अपीलवाद दायर किया है एवं वाद लंबित है। अपीलकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय के दिनांक 27.09.2019 के आदेश के विरूद्ध पुनः अपील वाद दायर किया है। इसलिए अपीलकर्त्ता के आवेदन प्रविष्टि स्तर पर स्वीकृत करने योग्य नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0 46/2007–08 आदेश दिनांक 04.02.2008 के द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा भलपहाड़ी का प्रधान नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध आर0एम0ए0 नं0 3/2008–09 दायर किया गया था। अपीलकर्त्ता मौजा भलपहाड़ी निवासी नहीं एवं रैयतों में आम स्वीकार्य नहीं होने के कारण आदेश दिनांक–11.07.2019 के द्वारा अपीलकर्त्ता के नियुक्ति आदेश को रद्द करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को नये सिरे से मौजा भलपहाड़ी का प्रधान नियुक्त करने के लिए निर्देश दिया गया था। निम्न न्यायालय के द्वारा 151 रैयतों के राय के आधार पर कनकलाल साह को मौजा भलपहाड़ी का प्रधान नियुक्त किया है। अपीलकर्ता के द्वारा आर0एम0ए0 नं0 3/08–09 में पारित आदेश दिनांक–11.07.2019 के विरूद्ध माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका में आर0एम0ए0 नं0 75/2019–20 में अपील वाद दायर किया गया है। विज्ञ सहायक सरकारी वकील का मंतव्य है कि दिनांक 27.09.2019 के आदेश के विरूद्ध पुनः अपील वाद दायर किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि बिन्दु पर अंगीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

03/11/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

03/11/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

डीली–1
15/11/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:40:55 +05:30
Location: 192.168.29.8